इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी 2014-फाल्गुन 3, शक 1935

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-4-2-87-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का. सं. 68) की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

- ''स्पष्टीकरण.—यदि अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के समय, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत् पेंशन (अशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न पेंशन) प्राप्त कर रहा है, या उसने ऐसी पेंशन प्राप्त करना चयन किया था, तो अध्यक्ष के रूप में सेवा की बावत् उसका वेतन—
  - (एक) उस पेंशन की रकम तक:
  - (दो) यदि उसने, पद ग्रहण करने से पहले, ऐसी पूर्व सेवा की बावत् उसे देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया था, तो पेंशन के उस भाग की रकम तक; और
  - (तीन) उसके द्वारा लिये या उपभोग किये जा रहे या लिये या उपभोग किये जाने वाले किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों तक;

घटा दिया जाएगा.

उपरोक्त स्पष्टीकरण 29 सितम्बर, 1987 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **बी. के. चन्देल,** उपसचिव.

#### भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-4-2-87-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

#### Bhopal, the 22<sup>nd</sup> February 2014

No. F. 4-2-87-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of section 30 of The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the State Government, hereby makes the following amendement in the Madhya Pradesh Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

#### **AMENDMENT**

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (1), the following Explanation shall be inserted, namely :-

- "Explanation.—If the President at the time of his appointment was in receipt of, or being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than disability of wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or the Government of a State, his salary in respect of service as a President shall be reduced,—
  - (i) by the amount of that pension;
  - (ii) if he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension; and
  - (iii) by any other form of retirement benefits, being drawn or availed of or to be drawn or availed of by him.

The above Explanation shall be deemed to have come into force from 29th September, 1987."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.